(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 151 **नई दिल्ली,** **22 अगस्त 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, इन्टरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राईवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/37/2005 - आईएसएचपीएल

इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राईवेट लिमिटेड **आवेदक**

आदेश

(जुलाई, 2009 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने दिनांक 25 जनवरी 2007 के अपने आदेश द्वारा अधिसूचना सं. 46 दिनांक 22 फरवरी 2007 के माध्यम से इंटरनेशनल सीपोर्ट्स (हल्दिया) प्राईवेट लिमिटेड (आईएसएचपीएल) के 31 मार्च 2009 तक की वैध अवधि वाले दरमान को अधिसूचित किया था।

2. 27 मार्च 2009 के आदेश द्वारा, प्रचलित दरमान की वैधता 31 जुलाई 2009 तक बढ़ाते हुए आईएसएचपीएल को सलाह दी गई कि वह, दरमान के सामान्य संशोधन के लिए, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक पूर्ण प्रस्ताव दाखिल करे।

3. दिनांक 25 जून 2009 के अपने पत्र के द्वारा आईएसएचपीएल ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। आईएसएचपीएल के प्रस्ताव को संबंधित उपयोग कर्ताओं / उपयोगकर्ताओं के संगठनों से विचार-विमर्श के लिए रखा गया है। आईएसएचपीएल के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है और इसे अंतिम विचार विमर्श के लिए मामला को परिपक्व होने के लिए और समय लगेगा।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण आईएसएचपीएल के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 तक अथवा इस के प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए आईएसएचपीएल के प्रस्ताव पर पारित होने वाली आदेश की कार्यान्वयन प्रभावी तिथि तक या जो भी पहले हों विस्तार प्रदान करता है।

5. जैसाकि 27 मार्च 2009 के आदेश में दिया गया है, निष्पादन की समीक्षा के दौरान, 1 अप्रैल 2009 से बाद की अवधि के लिए ग्राहयलागत तथा अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक, यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष सामने आता है तो ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित कर लिया जाएगा।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष